संख्या-66/2018-2327 ई-2/तेरह-2018-139/2013

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 06 अगस्त,2018

विषय:-मे0 मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा0लि0(आसवनी), नगीना रोड, बिजनौर की क्षमता 40 किलोली0 प्रतिदिन अर्थात् 120 लाख ली0 से बढ़ाकर 100 किलोली0 प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस के आधार पर 330 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-10/दो-प्रा0डी0-70/मोहित पेट्रो केमिकल्स, दिनांक 25 अप्रैल,2018 तथा पत्र संख्या-जी-26/दो-प्रा0डी0-70/मोहित पेट्रो केमिकल्स, दिनांक 19 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त राजस्वहित/उद्योगहित में मे0 मोहित पेट्रो केमिकल्स प्रा0 लि0(आसवनी), नगीना रोड, बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 40 किलोली0 प्रतिदिन अर्थात् 120 लाख लीटर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 100 किलोली0 प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस के आधार पर 330 लाख लीटर वार्षिक, जिसके अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार 60 किलोली0 प्रतिदिन शोधित आसव अथवा 54.70 किलोली0 प्रतिदिन अब्सोल्यूट अल्कोहल अथवा 56.10 किलोली0 प्रतिदिन ई0एन0ए0 का निर्माण एवं बिक्री किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराते हुये इस निमित्त केन्द्र/राज्य सरकार के सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में विहित व्यवस्था/प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in